कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन,भोपाल

क्रमॉक/संरक्षण/कक्ष–2/ 916 /भोपालः दिनांक 24-3-05

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश ।

विषयः आरा मशीनों का स्थानान्तरण एवं नामांतरण ।

मान0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002 के व्दारा आरा मशीनों के नये लायसेंस जारी करने पर लगाये गये प्रतिबंध में मान0 सर्वोच्च न्यायालय व्दारा गठित सशक्त समिति के आदेश दिनांक 21–3–2005 के पालन में विषयॉकित के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1– आरा मशीन के स्थानान्तरण एवं नामांतरण की अनुमति उस अनुज्ञप्ति अधिकारी (वनमण्डलाधिकारी) व्दारा जारी की जावेगी जिसके क्षेत्र में आरा मशीन स्थित हो।

2– यदि आरा मशीन का स्थानान्तरण किसी अन्य वन मण्डल के लिये आवेदित हो तो अनुमति जारी करने से पूर्व उस वन मण्डलाधिकारी की सहमति अनिवार्य होगी जिनके क्षेत्र में आरा मशीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो ।

3– यह अनुमति निम्न शर्तो के अधीन दी जावेगी :–

(क) विभिन्न प्रकार की मशीनों (बैंड सॉ, पीलिगं मशीन, स्लाइसर मशीन आदि)की संख्या में वृध्दि/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(ख) प्रतिबंधित क्षेत्र में आरा मशीन स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(ग) आरा मशीन की क्षमता में वृध्दि की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(घ) अनुज्ञप्ति के दो फाड़ (Splitting) की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(ङ) नामांतरण के प्रकरणों में भावी मालिक को आरा मशीन चालू करने से पूर्व वन विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी ।

(च) ऐसे व्यक्तियों के ...
वन अपराध पंजीबध्द किये गये हों , या अन्य किसी कारण से ...
माना गया हो ।

(छ) ऐसी आरा मशीनों के स्थानान्तरण/ नामान्तरण/ नवीनीकरण ...
पर विचार नहीं किया जावेगा जो मा. सर्वोच्च न्यायालय के 12–12–96 के आदेश के परिपालन में न्यायालय में प्रस्तुत सूची में शामिल नहीं हैं ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमॉक/संरक्षण/कक्ष–2/ /भोपालःदिनांक

प्रतिलिपि :– 1– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,भोपाल ।
2– सचिव, सशक्त समिति, गेट नंबर 31,जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्ली।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश